

सूचना आयोग

बाबा गंगानाथ मागण मुज़रका, नई दिल्ली - 110 067.

File No. CICOM/R/2017/50807/CR II

8.12.2017

Shri Abhay Kumar

विषय : RTI एक्ट, २००५ के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

आप का RTI आवेदन दिनांक 1.12.2017 का संदर्भित है. कांय रजिस्ट्रार (II) का उत्तर इस प्रकार है.

Point 3. आयोग के सभी आदेश (जिसमे मुआवजा देने के आदेश दिया गया हो वो भी) आयोग के वेबसाइट www.cic.gov.in में अपलोड किया जाता है. सभी आदेश वेबसाइट में उपलब्ध हों ऐसे आदेशों का कोई संकलन नहीं है जिसमें मुआवजा कराया गया है. यदि आप किसी विशेष आदेश का जानकारी चाहते हों तो क्लेस फाइल नंबर आयोग के RTI सेल को सूचित कर ताकि सूचना संबंधित रजिस्ट्रार से प्राप्त करके आपको प्रदान कर जा सकते हो.

उप सचिव (सीआर II)

Copy to : RTI Cell.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

आयोग के सभी आदेश आयोग के वेबसाइट में अपलोड किया जाता है. ऐसे आदेशों का कोई संकलन नहीं है जिसमें सुआवजा कराया गया है. यदि आप किसी विशेष आदेश का जानकारी चाहते हैं तो क्लिक फाइल नंबर को सूचित करता सूचना संबंधित रजिस्ट्रार से दे जा सके।